

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 109/2025
दायर दिनांक :- 23.05.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/225
निर्णय दिनांक :- 15.10.2025

1. नारायणदास पुत्र चुनीलाल जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. किसनलाल पुत्र नारायणदास जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. कौशल्या पत्नी नारायणदास जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. जसोदा पत्नी किसनलाल जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5. दिनेशकुमार पुत्र नारायणदास जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
6. पदमा पुत्री नारायणदास जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
7. प्रकाश पुत्र नारायणदास जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. तुलछी पत्नी राधाकिशन जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. मेगराज पुत्र राधाकिशन जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. लीलाधर पुत्र राधाकिशन जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. सीमा पालीवाल पत्नी शिवनारायण जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5. पार्वतीदेवी पत्नी बद्रीनारायण जाति महेश्वरी भैया निवासी बाप तह. बाप जिला फलोदी
6. शिवनारायण पुत्र जेठमल जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
7. मैसर्स पुज लॉयड सोलर पावर लि. गुडगांव
8. जगदीश पुत्र लिखमीचंद जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत 1118/1 रकबा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1119/1 रकबा 2.5414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120/1 रकबा 3.6988 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.6187 हैक्टेयर ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व

15/10/25

राजसव भू नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 02.05.2024 को जारी आदेश क्रम संख्या 06 की पालना व दिनांक 05.05.2025 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मूरतकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदायान को सीमा जान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 05.05.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां सोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 द्वारा व्यवधान पैदाकर कर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टियां सोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 05.05.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगद्दी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगद्दी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाप पटवार बाप तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1118/1 रकबा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1119/1 रकबा 2.5414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120/1 रकबा 3.6988 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.6187 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काशत आज दिन तक लगातार शातिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काशत को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 05.05.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगद्दी किये जाने के आदेश फरमावे।


अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम बाप पटवार बाप तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1118/1 रकबा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1119/1 रकबा 2.5414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120/1 रकबा 3.6988 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.6187 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्ड्ड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गद्दी

करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए पैमाइस फर्द दिनांक 05.05.2025 अनुसार पत्थरगद्दी करवाने का हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाप पटवार बाप तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1118/1 रकबा 3.2779 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1119/1 रकबा 2.5414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120/1 रकबा 3.6988 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1121 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गद्दी पैमाइस फर्द दिनांक 05.05.2025 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गद्दी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)